न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 257/2024/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 24.10.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

बाबूलाल आयु 65 वर्ष आत्मज छोटूलाल जाति हरिजन निवासी श्रीनाल तहसील मांगरोल जिला बांरा

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रमोहन शर्मा, श्री कौशल किशोर शर्मा अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 27.03.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण सं0 03/2018 उनवान बाबूलाल बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2024 के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत ग्राम तिसाया तहसील मांगरोल के नामांतरकरण सं0 638 दिनांक 28.09.2012 के विरूद्ध अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.05.2024 अनुसार प्रश्नगत आराजी पुराना खसरा सं0 625 एवं नया खसरा सं0 1032 की रकबा 0.64 है0 दिनांक 21.06.1989 को कीमतन आवंटित किये जाने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 28.07.1989 को 300/– रूपये जमा करवाने के 23 वर्ष बाद तक कोई राशि जमा नहीं करवायी जाने से आवंटन का अमल राजस्व रिकोर्ड में नहीं होने पर उक्त आराजी किस्म राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 बेहड़ की अंकित रहने पर जिला कलक्टर, बारां द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2011 से उक्त आराजी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय तिसाया के खेल मैदान हेतु आवंटित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामांतरकण उक्त आदेश की पालना में खोला जाने पर कोई त्रुटि नहीं होना वर्णित कर अपीलांट की अपील निर्णय दिनांक 24.05.2024 से खारिज की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के उक्त निर्णय दिनांक 24.05.2024 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश करन कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून है, न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी पुराना खसरा नम्बर 625 एवं नया खसरा नम्बर 1032 की रकबा 0.64 हैक्ट दिनांक 21.06.89 जो 1000/– रूपये प्रति बीघा की दर से आवंटित हुयी थी तथा अपीलान्ट को आराजी पर दखल भी उसी वक्त दे दिया गया था व नक्शा भी काट दिया गया था, तब से ही अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। अपीलान्ट द्वारा किये गये आवंटन की राशि दिनांक 28.09.2012 एवं 28.07.89 को क्रमशः 3700/– रूपये व 300/– रूपये अपीलान्ट द्वारा जमा करवा दी गयी तथा गैरखातेदारी प्राप्त करने हेतु तहसीलदार मांगरोल के यहां दिनांक 27.07.2007 को आवेदन भी कर दिया गया है। आदेश क्रमांक एफ (5) (429) राजस्व /10/2630–36 दिनांक 12.02.11 को खसरा नम्बर 223/1125 रकबा 5.21 हैक्टर में से 1.60 हैक्टर भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय तिसाया के खेल मैदान हेतु आवंटित की गयी थी जो कि चारागाह भूमि थी, इसी के साथ चारागाह भूमि के कम हुए रकबे की क्षतिपूर्ति हेतु खसरा नम्बर 1032 की रकबा 1.78 हैक्टर में से 1.60 हैक्टर भूमि चारागाह दर्ज कर दी गयी जिसका इंतकाल नम्बर 638 दिनांक 28.09.12 को तहसीलदार मांगरोल द्वारा पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट के बाद तस्दीक किया गया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है, क्योकि उक्त खसरा नम्बर 1032 में से 0.64 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के आवंटन शुदा कब्जे काश्त की भूमि थी। अतः खोला गया इंतकाल नम्बर 638 कानूनन गलत होने से खारिज किये जाने योग्य है। इंतकाल नम्बर 638 को खोलते समय हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच नहीं की गयी ओर नही आस–पास के काश्तकार से कोई जानकारी ली गयी। मात्र आदेश की पूर्ति हेतु गलत तौर पर अपीलान्ट की कब्जे शुदा आवंटित काश्तकारी की आराजी को गलत तौर पर चारागाह भूमि में दर्ज कर दिया गया। वर्तमान में भी उपरोक्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये विवादित इन्तकाल खोल दिया गया, जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के दोनो निर्णय निरस्त फरमाये जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी पुराना खसरा नम्बर 625 एवं नया खसरा नम्बर 1032 की रकबा 0.64 हैक्ट दिनांक 21.06.89 जो 1000/– रूपये प्रति बीघा की दर से आवंटित हुयी थी तथा अपीलान्ट को आराजी पर दखल भी उसी वक्त दे दिया गया था व नक्शा भी काट दिया गया था, तब से ही अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। अपीलान्ट द्वारा किये गये आवंटन की राशि दिनांक 28.09.2012 एवं 28.07.89 को क्रमशः 3700/– रूपये व 300/– रूपये अपीलान्ट द्वारा जमा करवा दी गयी तथा गैरखातेदारी प्राप्त करने हेतु

तहसीलदार मांगरोल के यहां दिनांक 27.07.2007 को आवेदन भी कर दिया गया है। आदेश क्रमांक एफ (5) (429) राजस्व /10/2630–36 दिनांक 12.02.11 को खसरा नम्बर 223/1125 रकबा 5.21 हैक्टर में से 1.60 हैक्टर भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय तिसाया के खेल मैदान हेतु आवंटित की गयी थी जो कि चारागाह भूमि थी, इसी के साथ चारागाह भूमि के कम हुए रकबे की क्षतिपूर्ति हेतु खसरा नम्बर 1032 की रकबा 1.78 हैक्टर में से 1.60 हैक्टर भूमि चारागाह दर्ज कर दी गयी जिसका इंतकाल नम्बर 638 दिनांक 28.09.12 को तहसीलदार मांगरोल द्वारा पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट के बाद तस्दीक किया गया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है, क्योकि उक्त खसरा नम्बर 1032 में से 0.64 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के आवंटन शुदा कब्जे काश्त की भूमि थी। मात्र आदेश की पूर्ति हेतु गलत तौर पर अपीलान्ट की कब्जे शुदा आवंटित काश्तकारी की आराजी को गलत तौर पर चारागाह भूमि में दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये विवादित इन्तकाल खोल दिया गया, जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के दोनो निर्णय निरस्त फरमाये जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि तहसीलदार मांगरोल द्वारा अपीलाधीन नामांतरकण आदेश की पालना में खोला जाने पर कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का सुना जाकर निर्णय दिनांक 24.05.2024 पारित किया गया है, जो उचित है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर/साक्ष्य पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत ग्राम तिसाया तहसील मांगरोल के नामांतरकरण सं0 638 दिनांक 28.09.2012 के विरूद्ध अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.05.2024 अनुसार प्रश्नगत आराजी पुराना खसरा सं0 625 एवं नया खसरा सं0 1032 की रकबा 0.64 है0 दिनांक 21.06.1989 को कीमतन आवंटित किये जाने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 28.07.1989 को 300/– रूपये जमा करवाने के 23 वर्ष बाद तक कोई राशि जमा नहीं करवायी जाने से आवंटन का अमल राजस्व रिकोर्ड में नहीं होने पर उक्त आराजी किस्म राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 बेहड़ की अंकित रहने पर जिला कलक्टर, बारां द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2011 से उक्त आराजी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय तिसाया के खेल मैदान हेतु आवंटित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामांतरकण उक्त आदेश की पालना में खोला जाने पर कोई त्रुटि नहीं होना वर्णित कर अपीलांट की अपील निर्णय दिनांक 24.05.2024 से खारिज की गई। प्रस्तुत

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि खसरा नम्बर 1032 में से 0.64 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के आवंटन शुदा कब्जे काश्त की भूमि थी। मात्र आदेश की पूर्ति हेतु गलत तौर पर अपीलान्ट की कब्जे शुदा आवंटित काश्तकारी की आराजी को गलत तौर पर चारागाह भूमि में दर्ज कर दिया गया।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रश्नगत आराजी दिनांक 21.06.1989 को अपीलांट को कीमतन आवंटित किये जाने के उपरांत आवंटी के द्वारा 23 वर्ष तक की अवधि तक कोई राशि जमा नहीं करवाये जाने पर प्रश्नगत आराजी गै0मु0 बेहड़ अंकित होने से जिला कलक्टर बारां के आदेश क्रमांक एफ–4(5)(429) राजस्व/10/2629 दिनांक 15.02.2011 से उक्त आराजी को राजकीय माध्यमित विद्यालय तिसाया के खेल मैदान हेतु आवंटित चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए गे0मु0 बेहड भूमि को चारागाह दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार मांगरोल के द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण उक्त आदेश की पालना में खोला जाकर तस्दीक किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं होना मानते हुए निर्णय दिनांक 24.05.2024 पारित किया गया। अपीलाधीन नामांतकरण जिला कलक्टर बारां के आदेश क्रमांक एफ–4(5)(429) राजस्व/10/2629 दिनांक 15.02.2011 की पालना में खोला गया है। प्रश्नगत आराजी अपीलांट के नाम दर्ज नहीं होकर सिवायचक दर्ज होना प्रकट होता है। अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन बाबत् कोई प्रमाण ना तो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया ना ही अपीलीय न्यायालय में। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 24.05.2024 न्यायोचित होने से हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

27/3/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा